

बन्नेरघट्टा पार्क के इको-सेंसिटिवि ज़ोन में कमी (Bannerghatta Park's Eco-Sensitive Zone Reduced)

चर्चा में क्यों?

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क के लिये एक नई अधिसूचना जारी की है। नई अधिसूचना के तहत बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क के इको-सेंसिटिवि ज़ोन में कमी की गई है।

प्रमुख बंदि

- बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क के लिये पहली अधिसूचना लगभग ढाई साल पहले जारी की गई थी जिसमें नेशनल पार्क के 268.96 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को पर्यावरण संवेदी क्षेत्र या इको-सेंसिटिवि ज़ोन (Eco-Sensitive Zones- ESZs) घोषित किया गया था।
- नवीनतम अधिसूचना में पार्क के इको-सेंसिटिवि ज़ोन को घटाकर 169 वर्ग कमी. कर दिया गया है।
- इको-सेंसिटिवि ज़ोन जो जंगल को नुकसान पहुंचाने वाली कुछ नशित गतिविधियों को न्यंत्रित और प्रतर्बिधित करता है, में कमी तेज़ी से शहरीकरण की ओर बढ़ रहे बंगलूरु शहर के आस-पास खनन तथा वाणज्यिक विकास के लिये और अधिक क्षेत्र उपलब्ध करा सकता है।
- वह क्षेत्र जहाँ ESZ में बहुत अधिक कमी की गई है, वहाँ या तो खनन किया जा रहा है या वे संभावित खनन क्षेत्र हैं। ESZ में कमी के चलते लाभ प्राप्त करने वाला एक अन्य क्षेत्र रयिल एस्टेट भी है क्योंकि अब बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क के निकटवर्ती राजमार्गों के आस-पास की ज़मीन पर्यावरणीय बाधाओं से मुक्त हो गई है।

क्या है इको-सेंसिटिवि ज़ोन?

- इको-सेंसिटिवि ज़ोन या पारस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किसी संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के अधिसूचित क्षेत्र हैं।
- इको-सेंसिटिवि ज़ोन में होने वाली गतिविधियों 1986 के पर्यावरण (संरक्षण अधिनियम) के तहत वनियमित होती हैं और ऐसे क्षेत्रों में प्रदूषणकारी उद्योग लगाने या खनन करने की अनुमति नहीं होती है।
- सामान्य सदिधतों के अनुसार, इको-सेंसिटिवि ज़ोन का वस्तितर किसी संरक्षित क्षेत्र के आसपास 10 कमी. तक के दायरे में हो सकता है। लेकिन संवेदनशील गलियारे, कनेक्टिविटी और पारस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण खंडों एवं प्राकृतिक संयोजन के लिये महत्वपूर्ण क्षेत्र होने की स्थिति में 10 कमी. से भी अधिक क्षेत्र को इको-सेंसिटिवि ज़ोन में शामिल किया जा सकता है।
- राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आस-पास इको-सेंसिटिवि ज़ोन के लिये घोषित दिशा-नरिदेशों के तहत नषिदिध उद्योगों को इन क्षेत्रों में काम करने की अनुमति नहीं है।
- ये दिशा-नरिदेश वाणज्यिक खनन, जलाने योग्य लकड़ी के वाणज्यिक उपयोग और प्रमुख जल-वदियुत परियोजनाओं जैसी गतिविधियों को प्रतर्बिधित करते हैं।
- कुछ गतिविधियों जैसे कापेड गरिना, भूजल दोहन, होटल और रसॉर्ट्स की स्थापना सहित प्राकृतिक जल संसाधनों का वाणज्यिक उपयोग आदि को इन क्षेत्रों में न्यंत्रित किया जाता है।
- मूल उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास कुछ गतिविधियों को न्यंत्रित करना है ताकि संरक्षित क्षेत्रों की निकटवर्ती संवेदनशील पारस्थितिक तंत्र पर ऐसी गतिविधियों के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके।

पर्यावरण संवेदी क्षेत्र का महत्व

- औद्योगीकरण, शहरीकरण और विकास की अन्य पहलों के दौरान भू-परदृश्य में बहुत से परिवर्तन होते हैं जो कभी-कभी भूकंप, बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं का कारण बन सकते हैं।
- वशिषिट पौधों, जानवरों, भू-भागों वाले कुछ क्षेत्र/क्षेत्रों को संरक्षित करने के लिये सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य आदि के रूप में घोषित किया है।
- उपरोक्त के अलावा, शहरीकरण और अन्य विकास गतिविधियों के प्रभाव को कम करने के लिये ऐसे संरक्षित क्षेत्रों के निकटवर्ती क्षेत्रों को इको-सेंसिटिवि ज़ोन घोषित किया गया है।
- राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य-योजना (National Wildlife Action Plan- NWAP) 2017-2031 जैव विविधता वाले खंडों के पृथक्करण/वनिाश को रोकने के लिये संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के बाहर के क्षेत्रों को सुरक्षित रखने पर्यास करती है।
- इको-सेंसिटिवि ज़ोन (ESZ) घोषित करने का उद्देश्य संरक्षित क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों की गतिविधियों को वनियमित और प्रबंधित

करके संभावति जोखमि को कम करना है।

बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क

- बंगलूरु, कर्नाटक के पास बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1970 में की गई थी और 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था।
- 2002 में उद्यान का एक हिस्सा, जैविक रज़िर्व बन गया जसि बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान कहा जाता है।
- यह एक चड़ियाघर, एक पालतू जानवरों का कारनर, एक पशु बचाव केंद्र, एक ततिली संलग्नक, एक मछलीघर, एक सांपघर और एक सफारी पार्क के साथ ही एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है।
- कर्नाटक का चड़ियाघर प्राधिकरण, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलूरु और अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एन्वायरमेंट (ATREE), बंगलूरु इसकी सहयोगी एजेंसियाँ हैं।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/bannerghatta-park-eco-sensitive-zone-reduced>

